

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2021—कार्तिक 14, शक 1943

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-1(ए)167-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 4 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2021 तक, तीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे. सचिव गृह (पी) विभाग, मंत्रालय द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/संचालक, लोक

अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र सिंह, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-1(ए)87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10, 11 व 12 सितम्बर के विज्ञप्त अवकाश के लाभ एवं दिनांक 13 सितम्बर 2021 के ऐच्छिक अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर (कर्नाटक) की भ्रमण यात्रा पर जाने की अनुमति एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक,

(शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

फा. क्र. 3948-इक्कीस-ब(एक)-2021.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 05, 15, 18, 19, 22, 29, 38, 42, 48 तथा 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:—

### सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
“05.	भोपाल	श्री राघुवीर प्रसाद पटेल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल
15.	बुरहानपुर	श्री तपेश कुमार दुबे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
18.	हरदा	कुमारी भावना साधो, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.
19.	जबलपुर	श्री सुजीत कुमार सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर
22.	झाबुआ	श्री महेन्द्र सिंह तोमर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ
29.	मंदसौर	श्री संदीप शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर
38.	जावरा/रतलाम	श्री रूपेश शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा/रतलाम.
42.	शिवपुरी	श्री रामविलास गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी
48.	उज्जैन	श्री वैभव मंडलोई, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
50.	उमरिया	श्री राम सिंह कनौजिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 3948-2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 20th September 2013, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 05, 15, 18, 19, 22, 29, 38, 42, 48 and 50 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Proposed name of Session Judge/Special Judge/ASJ to be designated as Special Judge, u/s 22 of NIA Act.
(1)	(2)	(3)
“05.	Bhopal	Shri Raghuveer Prasad Patel, Additional Sessions Judge, Bhopal.
15.	Burhanpur	Shri Tapesh Kumar Dubey, Additional Sessions Judge, Burhanpur.
18.	Harda	Ku. Bhavna Sadho, Special, Judge, Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.
19.	Jabalpur	Shri Sujit Kumar Singh, Additional Sessions Judge, Jabalpur
22.	Jhabua	Shri Mahendra Singh Tomar, Additional Sessions Judge, Jhabua.
29.	Mandsaur	Shri Sandeep Sharma, Additional Sessions Judge, Mandsaur
38.	Jaora/Ratlam	Shri Rupesh Sharma, Additional Sessions Judge, Jaora/Ratlam
42.	Shivpuri	Shri Ramvilas Gupta, Additional Sessions Judge, Shivpuri
48.	Ujjain	Shri Vaibhav Mandloi, Additional Sessions Judge, Ujjain
50.	Umariya	Shri Ram Singh Kanojia, Additional Sessions Judge, Judge, Umariya.”.

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

**महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

क्र. 3331-771-2021-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 04 की उपधारा (1) तथा (2) [सपपठित नियम, 2016 का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में, यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :—

**अनुसूची**

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सदस्य का नाम (3)	
1	मुरैना	1 श्रीमती हेमलता राणा	सदस्य
		2 श्री घनश्याम डण्डौतिया	सदस्य
2	दमोह	1 श्रीमती इन्दू वैध	सदस्य
3	सीधी	1 श्रीमती विभा पाण्डेय	सदस्य
4	डिण्डौरी	1 श्रीमती आभा तिवारी	सदस्य
5	शिवपुरी	1 श्री अजय खेमरिया	सदस्य
		2 श्रीमती शोभा पुरोहित	सदस्य
6	भोपाल	1 श्री कृपा शंकर चौबे	सदस्य
7	होशंगाबाद	1 श्रीमती श्वेता चौबे	सदस्य
		2 श्री विकास कुमार जैन	सदस्य
8	बालाघाट	1 सुश्री माधुरी कटरे	सदस्य
		2 श्री विकास खुरसेल	सदस्य
9	झाबुआ	1 श्री गोपाल सिंह पवार	सदस्य
		2 कु. रूखमणी वर्मा	सदस्य
10	मंदसौर	1 श्रीमती रेहाना पाटील	सदस्य

No. 3331-771-2021-L-2.—In exercise of the power conferred by sub section (1) and (2) of Section 04 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, [read along with Rule 88(10) of JJ Rule, 2016], the State Government, hereby appoints the members of the Juvenile Justice Board as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification:—

**SCHEDULE**

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Members (3)	
1	Morena	1 Smt. Hemlata Rana	Member
		2 Shri Ghanshyam Dandotiya	Member
2	Damoh	1 Smt. Indu Vaidh	Member
3	Sidhi	1 Smt. Vibha Pandey	Member
4	Dindori	1 Smt. Aabha Tiwari	Member
5	Shivpuri	1 Shri Ajay Khemariya	Member
		2 Smt. Shobha Purohit	Member
6	Bhopal	1 Shri Kripa Shankar Choube	Member
7	Hoshangabad	1 Smt. Sweta Choube	Member
		2 Shri Vikas Kumar Jain	Member
8	Balaghat	1 Ms. Madhuri katre	Member
		2 Shri Vikas Khursel	Member
9	Jhabua	1 Shri Gopal Singh Pawar	Member
		2 Ms. Rukhmani Verma	Member
10	Mandsaur	1 Smt. Rehana Patil	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2020-21

राजगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2021

**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-मऊ के शीष कार्य के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत शीष कार्य निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-मऊ

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
		रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के शीष कार्य निर्माण में प्रभावित ग्राम-मऊ की भूमि की आवश्यकता।	14.478
	कुल योग :-	14.478

-: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अमृतलाल पिता रतनलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1034/2	0.835	0.334
		कुल 1 किता	0.835	0.334
2	अमरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1033/2	0.392	0.078
		कुल 1 किता	0.392	0.078
3	अर्जुन आ. कंचन, अर्जुन, प्रेम, भगवान आ. नाथू जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1048/1/2	1.518	0.759
		कुल 1 किता	1.518	0.759
4	अनिताबाई बेवा दिनेश जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1032/2	0.788	0.788
		कुल 1 किता	0.788	0.788
5	क. श्री रूगनाथ जी महाराज, बड़ा मंदिर पूजा किशनदास आ. तुलसी दास बैरागी ब्यावसायापक श्रीमान जिलाध्यक्ष भूमि स्वामी माही राजगढ़	1084	2.946	2.946
		कुल 1 किता	2.946	2.946

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
6	बृजमोहन पिता रामचरण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1051/2	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
7	गोरीशंकर पिता रामचरण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1052/3	0.600	0.600
		कुल 1 किता	0.600	0.600
8	महिपालसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/4	0.790	0.198
		कुल 1 किता	0.790	0.198
9	मथरालाल पिता पन्नालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि 1/2 भाग स्वामी श्रीकिशन पिता पन्नालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि 1/2 भाग स्वामी	1048/2	2.023	0.202
		कुल 1 किता	2.023	0.202
10	महेन्द्र सिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/3	0.791	0.079
		कुल 1 किता	0.791	0.079
11	मोहनसिंह पिता लालजी जाति राजपूत पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी सुमेरसिंह पिता लालजी जाति राजपूत पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	1048/1/3	1.569	1.098
		कुल 1 किता	1.569	1.098
12	बृजमोहन पिता रामचरण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1052/2	1.400	1.400
		कुल 1 किता	1.400	1.400
13	बापू पिता मथरालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1051/1	1.327	0.133
		कुल 1 किता	1.327	0.133
14	दिनेश पिता चैनसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1033/1	0.392	0.039
		1034/1/1	0.417	0.125
		कुल 2 किता	0.809	0.164
15	दिलीप सिंह पिता मदन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/2	0.791	0.079
		कुल 1 किता	0.791	0.079
16	विजय कुमार पिता लक्ष्मीनारायण जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1032/1	0.789	0.789
		कुल 1 किता	0.789	0.789
17	हरिप्रसाद पिता नाथुलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1048/1/1	1.012	0.455
		कुल 1 किता	1.012	0.455
18	भंवरलाल पिता मदनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा	1031/1	0.439	0.439
		कुल 1 किता	0.439	0.439

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
19	भम्भूसिंह पिता दयालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/1/2/2	0.506	0.127
		कुल 1 किता	0.506	0.127
20	भारत सिंह पिता मदनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	1031/2	0.440	0.132
		कुल 1 किता	0.440	0.132
21	रघुवीर सिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1030	0.620	0.620
		कुल 1 किता	0.620	0.620
22	रमेश बाबू पिता रामचरण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1052/1	0.137	0.137
		कुल 1 किता	0.137	0.137
23	राजपालसिंह पिता दयालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/1/2/1/2	0.253	0.253
		1025/1/2/1/1/2	0.253	0.228
		कुल 2 किता	0.506	0.481
24	रूगनाथसिंह पिता शिम्भूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/1/2/1/1/1	0.347	0.312
		कुल 1 किता	0.347	0.312
25	सुरेश पिता लक्ष्मीनारायण जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1032/3	0.788	0.788
		कुल 1 किता	0.788	0.788
26	जसवंत सिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1034/1/2	0.418	0.125
		कुल 1 किता	0.418	0.125
27	जगदीश पिता मथरालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1051/3	0.759	0.455
		कुल 1 किता	0.759	0.455
<b>कुलयोग :-</b>		29 किता	<b>24.099</b>	<b>14.478</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 14-अ-82-2020-21

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-बेराड के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-बेराड

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
		रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-बेराड की भूमि की आवश्यकता।	95.369
	कुल योग :-	95.369

-: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अनिल पिता चैन सिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/1	0.013	0.013
		138/1/2	0.583	0.571
		139	0.126	0.126
		कुल 3 किता	0.722	0.710
2	अमरसिंह पिता रामचरण जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142/2	0.489	0.489
		368/2	0.371	0.371
		कुल 2 किता	0.860	0.860
3	इमरतलाल पिता शंकरलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	131/1/2	2.997	2.997
		कुल 1 किता	2.997	2.997
4	कैवरलाल पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	356/4	0.158	0.158
		357	0.190	0.190
		कुल 2 किता	0.348	0.348



स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5	कमल सिंह पिता मेहताब सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम गूजरखेडीकला भूमि स्वामी	124/1	1.360	1.360
		134/3	0.253	0.253
		कुल 2 किता	1.613	1.613
6	कमल सिंह पिता राम प्रसाद जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/1/1	0.253	0.253
		143/3	0.379	0.379
		कुल 2 किता	0.632	0.632
7	करन सिंह पिता शंकरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/1	0.936	0.936
		कुल 1 किता	0.936	0.936
8	कालू पिता पर्थी जाति गुजर पता निवासी ग्राम गूजरखेडी भूमि स्वामी	378	0.696	0.696
		384	0.569	0.569
		386	0.506	0.506
		कुल 3 किता	1.771	1.771
9	किशनलाल पिता मांगीलाल रामनारायण पिता किशनलाल जाति लौदी पता निवासी ग्राम मउ भूमि स्वामी	145/1/1	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506
10	किशनलाल पिता मांगीलाल ना.वा. जितेन्द्र पिता वाल मुकुन्द सरपर शान्ती वेवा वाल मुकुन्द जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/8/1	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
11(A)	रामबाबू जगमोहन पिता कुमेरसिंह गुलाबबाई बेवा कुमेरसिंह जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म. प्र. भूमि स्वामी	134/2/1	0.624	0.624
		कुल 1 किता	0.624	0.624
11(B)	मोरसिंह पिता घीसा जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	134/2/2	0.623	0.623
		कुल 1 किता	0.623	0.623
11(C)	नंदराम पिता घीसा जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	134/2/3	0.624	0.624
		कुल 1 किता	0.624	0.624
12	खुशीलाल पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता बेराड भूमि स्वामी	356/2	0.348	0.348
		कुल 1 किता	0.348	0.348

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
13	गुलाब सिंह पिता भागीरथ जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1/1	0.443	0.443
		371/1	0.229	0.229
		372/1	1.151	1.151
		373/1	0.208	0.208
		376/2	0.253	0.253
		382/1	0.607	0.607
		385/2/2	0.633	0.633
		361/1	0.059	0.009
		360/1	0.049	0.002
		कुल 9 किता	3.632	3.535
14	गोपी पिता प्रर्थी जाति गुर्जर पता भूमि स्वामी	388/2	1.265	1.265
			कुल 1 किता	1.265
15	धीसालाल पिता बंशीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम गूजरखेडी भूमि स्वामी	134/1	1.771	1.771
			कुल 1 किता	1.771
16	चांदबाबू पिता प्रेमसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम गुर्जरखेडी भूमि स्वामी	124/2	1.865	1.865
			कुल 1 किता	1.865
17	चैनसिंह पिता बिहारीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	119/2	1.184	0.947
		140/3	1.434	0.287
		369/1	0.485	0.485
			कुल 3 किता	3.103
18	चैनसिंह पिता ऊंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/3	1.265	1.265
			कुल 1 किता	1.265
19	जगदीश बद्रीलाल पिता करण सिंह जाति लोधी	136	0.076	0.076
		137/2	0.038	0.038
		138/2/1	0.519	0.509
		120/4	1.012	1.012
			कुल 4 किता	1.645
20	जगन्नाथ पिता शंकरलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/1/1	0.948	0.948
		389/1/1	0.696	0.696
			कुल 2 किता	1.644
21	जगमोहन पिता दरियावसिंह धनगर जाति गाडरी पता नि. बेराड तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	143/2/3	0.379	0.379
			कुल 1 किता	0.379
22	जयप्रसाद पिता बिहारीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/1/2	0.978	0.802
		119/1	0.207	0.166
		140/2	1.433	0.358
		369/2	0.485	0.485
			कुल 4 किता	3.103

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
23	जेबो बाई बेवा बिहारीलाल, फूलसिंह, जयप्रसाद चैनसिंह पिता बिहारीलाल धापूबाई कमलाबाई कांतीबाई राकमली बाई पुत्री बिहारीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	358	0.822	0.411
		364	0.291	0.291
		365	0.063	0.063
		366	0.316	0.316
		367	0.481	0.481
		कुल 5 किता	1.973	1.562
24	दरियाव सिंह पिता बंशीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/8/3	0.506	0.506
		131/2/2	0.674	0.674
		145/1/2	0.506	0.506
		कुल 3 किता	1.686	1.686
25	धन्नालाल पिता बंशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2	0.970	0.049
		105/2	0.025	0.025
		कुल 2 किता	0.995	0.074
26	धीरज सिंह सिदी बाई पिता घीसा मु. कमला बेवा घीसा सर. माता स्वयं जाति गूजर पता गूजरखेड़ी भूमि स्वामी	352/2	1.025	1.025
				कुल 1 किता
27	धीरप सिंह पिता हरिराम जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/2	0.933	0.933
				कुल 1 किता
28	नाथू पिता ईसर जाति माली पता नि. ग्राम महु भूमि स्वामी	127/5	1.518	1.518
				कुल 1 किता
29	नाथू पिता हरिराम जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/3	0.933	0.933
				कुल 1 किता
30	नारायण सिंह पिता राम प्रसाद जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/4	0.506	0.506
		141/3/1	0.278	0.278
				कुल 3 किता
31	महेश धनगर नाबालिग पिता नेनकराम जाति गाडरी पता नि. ग्राम कोलूखेड़ी तह. ब्यावरा, राजगढ़	143/2/1	0.166	0.166
				कुल 1 किता
32	नेनकराम पिता बंशीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम राजगढ़	370/2/1	0.632	0.632
		131/2/1	0.675	0.675
		370/1/2	0.442	0.442
		कुल 3 किता	1.749	1.749
33	प्रीतम सिंह पिता फूलसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	354	0.430	0.430
				कुल 1 किता

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मै)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मै)
34(A)	सीमाबाई पुत्री भरतसिंह पति भंवरसिंह जाति गुर्जर पता हाल मु. गुजरखेड़ीकला राजगढ़ म.प्र.	126/1	0.022	0.022
		125/1	0.484	0.484
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
34(B)	रामबाबू पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता गुजरखेड़ीकला राजगढ़ म.प्र.	126/2	0.095	0.095
		125/2	0.284	0.284
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>0.379</b>	<b>0.379</b>
34(C)	सोनू पिता घीसालाल जाति गुर्जर पता गुजरखेड़ीकला राजगढ़ म.प्र.	126/3	0.074	0.074
		125/3	0.305	0.305
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>0.379</b>	<b>0.379</b>
34(D)	रामसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर पता गुजरखेड़ीकला राजगढ़ म.प्र.	126/4	0.176	0.176
		125/4	0.040	0.040
		127/4/1	0.969	0.969
		130/1	0.750	0.750
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>
35	फते सिंह पिता प्रार्थी जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/4	0.886	0.886
		389/2	0.379	0.379
		<b>कुल 2 किता</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
36	फूलसिंह पिता बिहारीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/1/1	1.184	1.006
		140/1	1.433	0.860
		369/3	0.485	0.485
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>3.102</b>	<b>2.351</b>
37	फूलसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371/2	0.228	0.228
		372/2	1.150	1.150
		373/2	0.209	0.209
		376/1	0.253	0.253
		382/2	0.531	0.531
		383	0.076	0.076
		385/2/1	0.632	0.632
		<b>कुल 7 किता</b>	<b>3.079</b>	<b>3.079</b>
38	फूलसिंह, अर्जुनसिंह पिता चैनसिंह जाति गूजर पता गुजरखेड़ीकला भूमि स्वामी	379	1.417	1.417
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>
39	नारायणसिंह पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर पता गुजरखेड़ीकला राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	128	0.190	0.190
		127/4/2	0.296	0.296
		130/2	1.298	1.298
		<b>कुल 3 किता</b>	<b>1.784</b>	<b>1.784</b>
40	बंशीलाल पिता ऊँकार जाति गूजर पता गुजरखेड़ीकला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	385/1	0.253	0.253
		<b>कुल 1 किता</b>	<b>0.253</b>	<b>0.253</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
41	बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	145/5	0.810	0.810
		कुल 1 किता	0.810	0.810
42	बालकिशन, खुशीलाल पिता अमरा जाति काछी पता निवासी ग्राम मऊ भूमि स्वामी	121	1.644	1.644
		कुल 1 किता	1.644	1.644
43	बालकिशन पिता ऊंकार जाति गूजर पता गूजरखेडीकला भूमि स्वामी	127/13	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
44	बालाबगस पिता शंकरलाल जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/1/2	0.948	0.948
		389/1/2	0.695	0.695
		कुल 2 किता	1.643	1.643
45	रघुवीर सिंह पिता बालाबगस जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/1/1	0.291	0.291
		132/1/2	0.092	0.092
		कुल 2 किता	0.383	0.383
46	भंवर सिंह पिता सावत सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम गुर्जरखेडीकला भूमि स्वामी	123/1	0.921	0.921
		123/2	1.178	1.178
		कुल 2 किता	2.099	2.099
47	भगवत पिता जयप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/4/2	0.253	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
48	भगवत सिंह पिता जय प्रकाश जाति लोदी पता वैराड भूमि स्वामी	107/2	0.885	0.885
		कुल 1 किता	0.885	0.885
49	भगवान सिंह आ. चैनसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	138/2/2	0.632	0.619
		कुल 1 किता	0.632	0.619
50	मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज व्यवस्थापक श्री कलेक्टर महोदय राजगढ़ भूमि स्वामी	147	0.961	0.096
		कुल 1 किता	0.961	0.096
51	मदन आ. खुशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/11	1.265	1.265
		कुल 1 किता	1.265	1.265

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
52(A)	मदन पिता खुशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122/1	0.430	0.430
		कुल 1 किता	0.430	0.430
52(B)	घनश्याम गुर्जर पिता नारानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम गुर्जरखेडीकलां तहसील सुठालिया राजगढ़	122/2	0.430	0.430
		कुल 1 किता	0.430	0.430
53	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/1	0.853	0.853
		कुल 1 किता	0.853	0.853
54	मांगीलाल दयाराम हीरालाल बंशीलाल पिता रामलाल मु. गुलाब बाई बैवा रामलाल जाति काछी पता महु भूमि स्वामी	127/6	1.518	1.518
		कुल 1 किता	1.518	1.518
55	मांगीलाल, रामसहि पिता मानसिंह, तुलसी देवा मानसिंह जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/1	0.026	0.026
		कुल 1 किता	0.026	0.026
56	मु. नारानी बाई कालू गोपी फतेह सिंह पिता पथी जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/7	1.265	1.265
		388/3	1.265	1.265
		कुल 2 किता	2.530	2.530
57	मु.भँवरी वैवा कालू घनियालीला पुत्री कालू जाति काछी पता मऊ भूमि स्वामी	127/10	0.884	0.884
		कुल 1 किता	0.884	0.884
58	मूलचंद पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	356/3	0.348	0.348
		कुल 1 किता	0.348	0.348
59	मोतीलाल पिता घासीराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	118/3/2	1.502	0.601
		138/1/1	0.759	0.744
		कुल 2 किता	2.261	1.345
60	मोतीसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	356/1	0.348	0.348
		कुल 3 किता	0.348	0.348
61	रतनलाल पिता गजाधर जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142/1	0.489	0.489
		368/1	0.371	0.371
		कुल 2 किता	0.860	0.860

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
62	रमकुबाई बैवा मांगीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	133	1.088	1.088
		कुल 1 किता	1.088	1.088
63	रमेश पिता गंगाधर जाति लोदी पता बैराड ब्यावरा, राजगढ़	141/5/1	0.253	0.253
		141/1	0.506	0.506
		कुल 2 किता	0.759	0.759
64	रमेश हिम्मत सिंह पिता गंगाधर जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/3/2	0.885	0.885
		375/1	0.835	0.835
		कुल 2 किता	1.720	1.720
65(A)	लालजी कुशवाह पिता राधेलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	362	0.114	0.114
		363	0.342	0.239
		कुल 2 किता	0.456	0.353
65(B)	राकेश पिता रोड़जी हिस्सा 1/3 दिलवर पिता रोड़जी हिस्सा 1/3 कालीबाई बेवा रोड़जी हिस्सा 1/3 जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	377	0.443	0.443
		कुल 3 किता	0.443	0.443
66	राधाकिशन पिता बालमुकुन्द जाति लोधी पता बैराड ब्यावरा, राजगढ़	348	0.430	0.237
		कुल 1 किता	0.430	0.237
67	रामचरण पिता गजाधर जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142/3	0.489	0.489
		कुल 1 किता	0.489	0.489
68	रामचरण पिता दयाराम, लक्ष्मी नारायण पिता राम किशन, काशी बेवा रामकिशन जाति खाती पता नि. ग्राम स्वामी	143/1/2	0.391	0.391
		368/3	0.371	0.371
		कुल 2 किता	0.762	0.762
69	रामनारायण पिता बुद्धा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	145/4	1.012	0.810
		कुल 1 किता	1.012	0.810

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मै)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मै)
70 (A)	रामबाबू पिता रामप्रसाद हिस्सा 1/2 ईमरतीबाई बेवा रामप्रसाद हिस्सा 1/2 जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	103	0.961	0.961
		कुल 1 किता	0.961	0.961
70 (B)	राम प्रसाद पिता भवरिया जाति काछी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	144	1.455	1.455
		कुल 1 किता	1.455	1.455
71	रामबाबू पिता बालाबगस जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	132/1/1	0.382	0.382
		कुल 1 किता	0.382	0.382
72	रामबाबू पिता श्रीबल्लभ जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/2	0.935	0.935
		कुल 1 किता	0.935	0.935
73	रामभरोसा पिता ईसर जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/4/1	0.253	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
74	रामस्वरूप पिता हरिसिंह धनगर जाति गाडरी पता नि. बेराड तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	143/2/2	0.379	0.379
		कुल 1 किता	0.379	0.379
75	रामस्वरूप आ. हरिसिंह ना.वा. रघुवीर आ. हरियाव सिंह ना.वा. बगवती सिंह आ. नन्नूलाल सर. आ. स्वयं जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129	0.443	0.443
		कुल 1 किता	0.443	0.443
76	रेखाबाई पत्नी रामभरोसा जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506
77	लक्ष्मीनारायण पिता बालमुकुन्द जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	347/1	0.392	0.235
		कुल 1 किता	0.392	0.235
78	लाखन सिंह पिता जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	132/2/1	0.383	0.383
		कुल 1 किता	0.383	0.383
79	विक्रमसिंह पिता भेरूलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	370/2/2	1.125	1.125
		कुल 1 किता	1.125	1.125



स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मै)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मै)
80	श्यामबाबू पिता जगन्नाथ जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी	132/2/2	0.383	0.383
		कुल 1 कित्ता	<b>0.383</b>	<b>0.383</b>
81	श्रीमति शिखा मिश्रा पत्नि मनोज कुमार मिश्रा जाति बाहम्ण पता नि. सुठालिया	375/2	0.835	0.835
		कुल 1 कित्ता	<b>0.835</b>	<b>0.835</b>
82	सुरत सिंह पिता बापूलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349	1.126	0.169
		350	0.329	0.066
		कुल 2 कित्ता	<b>1.455</b>	<b>0.235</b>
83	सुशीला पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/9	2.023	2.023
		कुल 1 कित्ता	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>
84	हरि सिंह पिता बंशीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/8/2	0.506	0.506
		131/2/3	0.674	0.674
		कुल 2 कित्ता	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
85	हरि सिंह पिता बंशीलाल जाति गाडरी पता बैराड, ब्यावरा	141/5/2	0.253	0.253
		कुल 1 कित्ता	<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
86	हरीसिंह पिता भँवरिया जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	351	0.810	0.810
		352/1	0.506	0.506
		353	0.291	0.291
		355	0.595	0.595
		कुल 4 कित्ता	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>
87	रामबाबू पिता रामप्रसाद, इमरती बाई बेवा रामप्रसाद जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, रामगढ़	104	0.063	0.063
		106	0.038	0.002
		कुल 2 कित्ता	<b>0.101</b>	<b>0.065</b>
	<b>कुलयोग :-</b>	<b>कुल 163</b>	<b>103.953</b>	<b>95.369</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

कचनार ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाने के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

प्ररूप-1

[नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए]

उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्रमांक 4760.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 वर्ष 1973), की धारा 23-ग की शक्तियों का उपयोग करते हुए, संचालक, एतद्वारा भोपाल निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अधिसूचित करता है:—

### अनुसूची

#### भोपाल मेट्रो रेल परियोजना

सरल क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्रमांक (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
1	पिपलिया पेदे खां	18	0.00930
2	पिपलिया पेदे खां	13	0.17110
3	पिपलिया पेदे खां	12	0.07620
4	पिपलिया पेदे खां	11	0.01440
5	पिपलिया पेदे खां	8/1,9/2	0.03910
6	पिपलिया पेदे खां	8/2,9/1	0.14640
7	पिपलिया पेदे खां	7	0.03840
8	पिपलिया पेदे खां	6	0.09240
9	पिपलिया पेदे खां	4	0.47070
10	पिपलिया पेदे खां	3	0.01440
11	पिपलिया पेदे खां	10	0.42240
12	पिपलिया पेदे खां	292/11	0.01530
13	शाहपुरा	13	0.8840
14	पिपलिया पेदे खां	1	0.01800
15	शाहपुरा	13	0.23740
16	शाहपुरा	12	0.25020
17	शाहपुरा	17	0.46510
18	शाहपुरा	17	0.24640
19	शाहपुरा	16	0.82160
20	शाहपुरा	21	0.11359
21	शाहपुरा	22	0.10680
22	शाहपुरा	22	0.14830
23	शाहपुरा	24,300/23,315/49	0.18530
24	शाहपुरा	25	0.80280
25	शाहपुरा	25	0.92520

(1)	(2)	(3)	(4)
26	शहर भोपाल	1520	0.01930
27	शहर भोपाल	1507	0.00740
28	शहर भोपाल	1519	0.25550
29	शहर भोपाल	1519	0.68050
30	शहर भोपाल	1518	0.30780
31	शहर भोपाल	1518	0.19790
32	शहर भोपाल	1516	0.07100
33	शहर भोपाल	1512	0.01730
34	शहर भोपाल	1567/1515, 1515	0.41600
35	शहर भोपाल	1517	0.28780
36	शहर भोपाल	1565/1516	0.21670
37	शहर भोपाल	1516	0.24540
38	शहर भोपाल	1564/1517	0.03010
39	शहर भोपाल	1513	0.02300
40	शहर भोपाल	1513	0.00680
41	शहर भोपाल	1516	0.01000
42	शहर भोपाल	1565/1516	0.00280
43	शहर भोपाल	956	0.33480
44	शहर भोपाल	957	0.24760
45	शहर भोपाल	958	0.16880
46	शहर भोपाल	944	0.60310
47	शहर भोपाल	956	0.08890
48	गोविंदपुरा	39	0.04440
49	गोविंदपुरा	55/37	0.01930
50	गोविंदपुरा	39	0.04170
51	गोविंदपुरा	38	0.07990
52	गोविंदपुरा	39	0.20580
53	गोविंदपुरा	37	0.22540
54	गोविंदपुरा	58/36	0.00870
55	गोविंदपुरा	59/36	0.00220
56	शहर भोपाल	868	0.02170
57	शहर भोपाल	921	0.30980
58	शहर भोपाल	1962/1066, 1067, 1068, 1080, 1658/1	0.03840
59	गोविंदपुरा	55/37	0.03350
60	गोविंदपुरा	56/37	0.11190
61	शहर भोपाल	943	0.03110
62	शहर भोपाल	944	0.01480
			योग . . . 11.34629

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 21018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

**राज्य शासन के आदेश**  
**वन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021**

क्र. एफ-25-86-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-23°37'54.800" से N-23°38'10.900" उत्तर अक्षांश तथा E-75°14'12.500" से E-75°14'59.700" पूर्व देशांश मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

**अनुसूची**

**जिला—रतलाम, तहसील—जावरा, वनमण्डल—रतलाम, वन परिक्षेत्र—सैलाना**

क्र.	प्रसतावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	हिरूखेडी	46	हिरूखेडी	-	2	30.000	पहाड़	एफ-25- 139/2016 दस-3- दिनांक 2 नवम्बर 2016.	11 नवम्बर 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 30.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-86-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-86-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-86-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-23°37'54.800" to N-23°38'10.900" North Latitude and E-75°14'12.500" to E-75°14'59.700" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, (Revenue) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Ratlam Tahsil—Jaora, Forest Division—Ratlam, Forest Range—Sailana

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				*Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Hirukhedi	46	Hirukhedi	-	2	30.000	Hill	F-25-139-2016-10-3 Dated 2 Nov. 2016	11 Nov. 2016	North.—Artificial Forest boundary from Pillar No.01 to 12. East.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 12 to 09. South.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 09 to 04. West.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 04 to 01.

Total (Block Area) 30.000

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-87-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-23°33'04.2" से N-23°33'19.5" उत्तर अक्षांश तथा E-75°01'19.1" से E-75°01'51.5" पूर्व के देशांश मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—रतलाम, तहसील—पिपलोदा, वनमण्डल—रतलाम, वन परिक्षेत्र—सैलाना

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	कंचनखेड़ी	51	कंचनखेड़ी	-	181/1 204	10.906 2.620	चरनोई काबिल कास्त	एफ-25- 141/2016 दस-3- दिनांक 2 नवम्बर 2016.	11 नवम्बर 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 13.526

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-87-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-87-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-87-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-23°33'04.2" to N-23°33'19.5" North Latitude and E-75°01'19.1" to E-75°01'51.5" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer Revenue, Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

**District—Ratlam, Tahsil—Piploda, Forest Division—Ratlam, Forest Range—Sailana**

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected forest land its Noti- fication Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	*Old	New	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kanchan Kheri	51	Kanchan Kheri	-	181/1 204	10.906 2.620	Charnoi Kabil Kheri	F-25-141-2016 10-3 Dated 2 Nov. 2016	11 Nov. 2016	<b>North.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No.01 to 11. <b>East.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 11 to 14. <b>South.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 14 to 20. <b>West.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 20 to 01.

Total (Block Area) 13.526

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-89-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23°03'35.29" से 23°03'52.9" उत्तर अक्षांश तथा 76°09'48.8" से 76°10'07.2" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सोनकच्छ जिला देवास (म. प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—टोकखुर्द, वनमण्डल—देवास, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				*पुराना	नया					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	नांदेल 'ए'	21	नांदेल/ नांदेल 'ए'	-	951	16.050	-	एफ-25- 93-2016 दस-3- दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 04 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 09 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 01 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा.
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)						16.050				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.



भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-89-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-89-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-89-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 23°03'34.2" to 23°03'52.9" North Latitude and 76°09'48.8" to 76°10'07.2" East Longitude.
- (B) appoints Sub-Divisional Magistrate (Revenue) Sonkatchh Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas Tahsil—Tonkhurd, Forest Division—Dewas, Forest Range—Dewas

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				*Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nandel A	21	Nandel/ Nandel A	-	951	16.050	-	F-25-93-2016 X-3 Dated 26th August 2016.	9th. September 2016.	North.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 02 to 04 of Protected forest Block. East.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 04 to 09 of Protected forest Block. South.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 09 to 01 of Protected forest Block. West.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected forest Block.

Total (Block Area) 16.050

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-90-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23°01'54.8" से 23°02'18.7" उत्तर अक्षांश तथा 76°11'19.01" से 76°11'38.6" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सोनकच्छ जिला देवास म. प्र. को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—टोकखुर्द, वनमण्डल—देवास, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	नांदेल 'सी'	21	नांदेल/ नांदेल 'सी'	-	1772	9.000	-	एफ-25-93-2016 09 -दस-3- दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 08 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 13 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 01 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 9.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-90-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-90-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-90-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 23°01'54.8" to 23°02'18.7" North Latitude and 76°11'19.01" to 76°11'38.6" East Longitude.
- (B) appoints Sub-Divisional Magistrate (Revenue) Sonkatchh, Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

## SCHEDULE

District—Dewas, Tahsil—Tonkhard, Forest Division—Dewas, Forest Range—Dewas

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				*Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nandel C	21	Nandel/ Nandel C	&	1772	9.000	&	F-25-93-2016 X-3 dated 26th August 2016	9th September 2016	North.—Artificial Forest boundary from Pillar No.07 to 08 of Protected Forest block. East.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 08 to 13 of Protected forest block. South.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 13 to 01 of Protected forest block. West.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 07 of Protected forest block.

Total (Block Area) 9.000

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-92-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-23°38'0.6" से N-23°38'28.1" उत्तर अक्षांश तथा E-75°14'02.5" से E-75°14'58.2" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—रतलाम, तहसील—जावरा, वनमण्डल—रतलाम, वन परिक्षेत्र—सैलाना

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	खोजनखेड़ा	46	खोजनखेड़ा	-	270/1	45.729	बर्डी	एफ-25- 23 दिसम्बर 142/2016 10-3 दिनांक 13 दिसम्बर 2016.	23 दिसम्बर 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 23 तक तथा मुनारा क्रमांक 23 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 45.729

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-92-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-92-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-92-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioed in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-23°38'0.6" to N-23°38'28.1" North Latitude and E-75°14'02.5" to E-75°14'58.2" East Longitude.
- (B) appoints Sub-Divisional Officer (Revenue) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Ratlam, Tahsil—Jaora, Forest Division—Ratlam, Forest Range—Sailana

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	*Old	New	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Khojan Kheda	46	Khojan Kheda	-	270/1	45.729	Bardi	F-25-142-2016/10-3 date 13 Dec. 2016	23 Dec. 2016	<b>North.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No.01 to 07. <b>East.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 07 to 09. <b>South.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 09 to 17. <b>West.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 17 to 23 and 23 to 01.

Total (Block Area) 45.729

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-93-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-23<sup>0</sup>17'58.2" से N-23<sup>0</sup>18'32.1" उत्तर अक्षांश तथा E-74<sup>0</sup>52'16.6" से E-74<sup>0</sup>52'39.10" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड सैलाना को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—रतलाम, तहसील—सैलाना, वनमण्डल—रतलाम, वन परिक्षेत्र—शिवगढ़

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	साम्भर खों आई	46	पुनापाडा	-	12 13 19/2	13.280 3.450 9.450	ना.का.का. राजस्व वन	एफ-25- 67/2016 दस-3- दिनांक 1 सितम्बर 2016.	16 सितम्बर 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 26.180

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-93-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-93-2021-दस-3, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 26th October 2021

No. F-25-93-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-23°17'58.2" to N-23°18'32.1" North Latitude and E-74°52'16.6" to E-74°52'39.10" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, (Revenue) Block Sailana to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Ratlam, Tahsil—Sailana, Forest Division—Ratlam, Forest Range—Shivgarh

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	*Old	New	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sambhar Kho-I	46	Punapada	-	12 13 19/2	13.280 3.450 9.450	Inadequacy Kast Revenue Forest.	F-25-67-2016/ X-3 date 1 Sep. 2016	16 Sep. 2016.	<b>North.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No.09 to 10. <b>East.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 02. <b>South.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 02 to 03. <b>West.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 03 to 09.

Total (Block Area) 26.180

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-94-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-23°42'57.600" से N-23°43'8.900" उत्तर अक्षांश तथा E-75°8'32.600" से E-75°8'50.900" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—रतलाम, तहसील—जावरा, वनमण्डल—रतलाम, वन परिक्षेत्र—सैलाना

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
				*पुराना	नया						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	झालवा	25	झालवा	-	868/1	5.723	शासकीय (मगरा)	एफ-25- 138/2016 10-3 दिनांक 13 दिसम्बर 2016.	23 दिसम्बर 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.	
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)							5.723				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.



भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-94-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-94-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-94-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-23°42'57.600" to N-23°43'8.900" North Latitude and E-75°8'32.600" to E-75°8'50.900" East Longitude.
- (B) appoints Sub-Divisional Officer, (Revenue) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Ratlam, Tahsil—Jaora, Forest Division—Ratlam, Forest Range—Sailana

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				*Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jhalwa	25	Jhalwa	-	868/1	5.723	Govt. (Magra)	F-25-138-2016/X-3 date 13th December 2016.	23rd December 2016.	<b>North.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No.01 to 14. <b>East.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 14 to 10. <b>South.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 06. <b>West.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 06 to 01.

Total (Block Area) 5.723

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-97-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23°03'13.06" से 23°03'40.1" उत्तर अक्षांश तथा 76°09'58.9" से 76°10'06.2" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सोनकच्छ जिला देवास (म. प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—टोकखुर्द, वनमण्डल—देवास, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	नांदेल 'ई'	21	नांदेल/ नांदेल 'ई'	-	952	12.560	-	एफ-25- 93/2016 दस-3 दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016.	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 10 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 01 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 12.560

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-97-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-97-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-97-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 23°03'13.06" to 23°03'40.1" North Latitude and 76°09'58.9" to 76°10'06.2" East Longitude.
- (B) appoints Sub-Divisional Magistrate (Revenue) Sonkatchh Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas, Tehsil—Tonkhurd, Forest Division—Dewas, Forest Range—Dewas

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				*Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nandel E	21	Nandel/ Nandel E	&	952	12.560	&	F-25-93-2016 X-3 dated 26th August 2016	9th September 2016	North.—Artificial Forest boundary from Pillar No.03 to 04 of Protected Forest block. East.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 04 to 10 of Protected forest block. South.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 01 of Protected forest block. West.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 03 of Protected forest block.

Total (Block Area) 12.560

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-98-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-23°06'7.75" से N-23°06'20.76" उत्तर अक्षांश तथा E-76°24'56.74" से E-76°25'12.19" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सोनकच्छ जिला देवास (म. प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—देवास, वनमण्डल—सोनकच्छ, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	टुगनी 'बी'	14	टुगनी/टुगनी 'बी'	-	81	4.500	-	एफ-25- 92/2016 दस-3 दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016.	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 01 तक कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक कृत्रिम सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 4.500

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-98-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-98-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-98-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) declares that it has been decided to constitute the waste land and the Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-23°06'7.75" to N-23°06'20.76" North Latitude and E-76°24'56.74" to E-76°25'12.19" East Longitude.
- (B) appoints Sub-Divisional Magistrate (Revenue) Sonkatchh, Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas, Tahsil—Dewas, Forest Division—Sonkatchh, Forest Range—Dewas

S. No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected forest land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundary
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tungi B	14	Tungi/Tungi B	&	81	4.500	&	No. F-25-92-2016 X-3 dated 26th August 2016	9th September 2016	North.—Artificial Forest boundary from Pillar No.05 to 07 of Protected Forest block. East.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 07 to 01 of Protected forest block. South.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected forest block. West.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected forest block.
				Total . .		4.500				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-102-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-23°05'23.19" से N-23°05'49.86" उत्तर अक्षांश तथा E-76°25'59.55" से E-76°26'22.87" पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ, जिला देवास (म. प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—देवास, वनमण्डल—सोनकच्छ, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	रजापुर	15	रजापुर/ रजापुर	—	1 1	20.210 5.000	चरनोई	एफ-25- 92/2016 दस-3- दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 16 तक कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 10 तक कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 07 तक कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 01 तक कृत्रिम.

योग . . 25.210

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-102-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-102-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-102-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land the Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-23°05'23.19" to N-23°05'49.86" North Latitude and E-76°25'59.55" to E-76°26'22.87" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional officer (Revenue), Sonkatchh, Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas Tahsil—Dewas, Forest Division—Sonkatchh, Forest Range—Dewas

S. No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected forest land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundary
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rajpur	15	Rajapur/Rajapur	-	1 2	20.210 5.000	Charnoi	No. F-25-92-2016 X-3 dated 26th August 2016.	9th September 2016	North.—Artificial Forest boundary from Pillar No.01 to 16 of Protected Forest block. East.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 16 to 10 of Protected forest block. South.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 07 of Protected forest block. West.—Artificial Forest boundary from Pillar No. 07 to 01 of Protected forest block.
				Total		25.210				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-103-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-23°05'46.48" से N-23°06'9.32" उत्तर अक्षांश तथा E-76°25'18.18" से E-76°25'56.22" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ, जिला देवास (म. प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

### अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—देवास, वनमण्डल—सोनकच्छ, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	टुगनी ए	14	टुगनी/टुगनी 'ए'	-	155/1 131 164	10.000 4.000 1,500	-	एफ-25- 92/2016 दस-3- दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016.	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 10 तक कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 11 तक कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 23 तक कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 से 01 तक कृत्रिम सीमा.
				योग . .		15.500				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.



भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-103-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-103-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-103-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land the Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-23°05'46.48" to N-23°06'9.32" North Latitude and E-76°25'18.18" to E-76°25'56.22" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional officer (Revenue), Sonkatchh, Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas Tahsil—Dewas, Forest Division—Sonkatchh, Forest Range—Dewas

S. No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected forest land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundary
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tungi A	14	Tungi/ Tungi A	&	155/1 1 131 164	10,000 4,000 1,500	&	No. F-25- 92-2016 X-3 dated 26th August 2016	9th September 2016	<b>North.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No.01 to 10 of Protected Forest block. <b>East.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 11 of Protected forest block. <b>South.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 11 to 23 of Protected forest block. <b>West.</b> —Artificial Forest boundary from Pillar No. 23 to 01 of Protected forest block.
				Total . .		15.500				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-109-2017-दस-3.—चूँकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी./334-59-दस-3/2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और चूँकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना में प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड 21°59'52.8" से 22°00'22.3" उत्तर अक्षांश तथा 076°13'35.7" से E-076°14'01.7" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा, सामान्य वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी का हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधि-सूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बामझर (अ)	प.ह.न. 08/ अत्तर	बामझर/ बामझर (अ)	ख.नं. 28 33 34 पी-661	बड़े झाड़ का जंगल	डी-880-3999-दस-3-2003 दि. 24-12-03 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	0.660 1.920 25.150 27.730	उत्तर—मुनारा क्रमांक 01 से 5 तक ग्राम रेवाड़ा की सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 5 से 12 तक रास्ता. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 12 से 32 तक खसरा क्र. 41 (नाला) 36, 35, 26, 29, 30, 31 एवं 32 की सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 32 से 33 एवं 1 खसरा क्र. 8 एवं 7 की सीमा.
2	बामझर (ब)	प.ह.न. 08/ अत्तर	बामझर/ बामझर (ब)	ख.नं. 369 पी-661	बड़े झाड़ का जंगल	डी-880-3999-दस-3-2003 दि. 24-12-03 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	6.74	उत्तर—मुनारा क्रमांक 01 से 5 तक ग्राम रेवाड़ा की सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 5 से 13 तक खसरा क्र. 370, 368 एवं 366 की सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 13 नाला की प्राकृतिक सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 13 से 19 एवं 1 रास्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-109-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-109-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-109-2017-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D/334-59/Tan/3/06 dated 3rd February 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-21°59'52.8" to N-22°22'00'22-3" North Latitude and E-076°13'35.7" to E-076°14'01.7" East Longitude.

SCHEDULE

District—Khandwa, Tahsil-Khandwa, Forest Division—Khandwa, Forest Range-Khandwa

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication date	Area (hectare)	Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	bamjhar (A)	P.H.N. 08, Attar	bamjhar/ bamjhra (A)	Khasra No. 28 33 34 P-661	Big Tree forest	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	0.660 1.920 <u>25.150</u> <u>27.730</u>	<b>North</b> —Munara No. 1 to 5 tak village rewada ki sima. <b>East</b> —Munara No. 5 to 12 tak, rasta. <b>South</b> —Munara No. 12 to 32 tak, khasra No. 41 and (nala) 36, 35, 27, 29, 30, 31, 32 ki sima. <b>West</b> —Munara No. 32 and 33 and 1 khasra No 8 and 7 ki sima.
2	bamjha (B)	P.H.N. 08, Attar	bamjha/ bamjha (B)	Khasra No. 369 P-661	Big Tree forest	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	6.74	<b>North</b> —Munara No. 1 to 5 tak village rewada ki sima. <b>East</b> —Munara No. 5 to 13 tak khasra No. 370, 368 and 366 ki sima. <b>South</b> —Munara No. 13 nale ki prakritk sima. <b>West</b> —Munara No. 13 and 19 and 1, rasta.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी.-334-59-दस-3-2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 22 03'21.6" से 22 03'31.3" उत्तर अक्षांश तथा 076 07'09.9" से 076 07'44.9" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड़ खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा ( सामान्य ), वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद क्रमांक	यदि संरक्षित वन है तो उसकी सूचना और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बेड़ियाखुर्द -VII	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द/ बेड़ियाखुर्द -VII	ख.नं. 86 88 पी-658	पहाड़ चट्टान	डी-880-3999-दस-3-2003 दि. 24-12-2003 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	4.080 1.520	उत्तर—मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक नहर की सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 2 से 4 तक, मुनारा क्र. 2 से 3 तक नाला की प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क्र. 3 से 4 रास्ता. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक वनमण्डल खरगोन के कक्ष क्र. 550 की सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 6 एवं 1 ग्राम देलगांव की सीमा.
योग							5.600	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

एफ-25-110-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-110-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-110-2017-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D/334-59/Tan/3/06 dated 3rd February 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-22 03'21.6" to N-22 03'31.3" North Latitude and E-076 07'09.9" to E-076 07'44.9" East Longitude.

## SCHEDULE

District—Khandwa, Tahsil—Khandwa, Forest Division—Khandwa (G) Forest Range-Khandwa

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with Gazette publication date	Area (hectare)	Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	bediya khurd VII	P.H.N. O 3/Attar	bediya khurd/bediya khurd VII	Khasra No. 86 88 P-658	Pahad Chattan	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	4.080 1.520	<b>North</b> —Munara No. 01 to 02 tk nahar ki sima. <b>East</b> —Munara No. 2 to 4 tk Munara No. 2 to 3 tk nale ki prakratik sima and munara No.3 to 4 rasta. <b>South</b> —Munara No. 4 to 6 tk vanmandal khargon ke khash No. 550 ki sima. <b>West</b> —Munara No. 6 and 1 village delgov ki sima.
Total							5.600	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी./334-59-दस-3/2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावों इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड 22 03'21.1" से 22 03'46.9" उत्तर अक्षांश तथा 076 08'04.2" से 076 08'32.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा ( सामान्य ), वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी का हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड का नाम	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी सूचना और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बेड़ियाखुर्द VIII	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द/ बेड़ियाखुर्द -VIII	ख.नं. 177 पी-657	बडे झाड़ का जंगल	डी-880-3999- दस-3-2003 दि. 24-12-2003 राजपत्र दिनांक 9-1-2004	30.790	उत्तर—मुनारा क्रमांक 14 से 18 तक खसरा क्र. 194 एवं 195 की सीमा. पूर्व—मुनारा क्र. 18 से 26 तक रास्ता. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 26 से 29, मुनारा क्र. 26 से 28 तक जिला खरगोन की सीमा एवं मुनारा क्र. 28 से 29 नहर की सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 29 एवं 1 से 14 तक मुनारा क्र. 14 एवं 1, नाला की प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क्र. 1 से 14 तक खसरा क्र. 178, 179, 180, 181, 182, 183, एवं 193 की सीमा.
योग . .							30.790	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-110-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-110-2017-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D/334-59/Tan/3/06 dated 3rd February 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND, WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-22 03'21.1" to N-22 03'46.09" North Latitude and E-076 08'04.2" to E-076 08'32.0" East Longitude.

## SCHEDULE

**District—Khandwa, Tahsil—Khandwa, Forest Division—Khandwa (G) Forest Range-Khandwa**

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with Gazette publication date	Area (hectare)	Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	bediya khurd VIII	P.H.N. 03/Attar	bediya khurd/ bediya khurd VIII	Khasra No. 177 P-657	Bade jhad ka jangle	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	30.790	<p><b>North</b>—Munara No. 14 to 18 tk khasra no. 194 and 195 ki sima.</p> <p><b>East</b>—Munara No. 18 to 26 tk rasta.</p> <p><b>South</b>—Munara No. 26 to 29 Munara No. 26 to 28 tk distrik khargon ki sima and Munara No. 28 to 29 tk nahar ki sima.</p> <p><b>West</b>—Munara No. 29 and 1 se 14 tk Munara No. 14 and 1 nala ki praktitik sima and Munara No. 1 to 14 tk khasara No. 178, 179, 180, 181, 182, 183 and 193 ki sima.</p>
<b>Total</b>							<b>30.790</b>	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी./334-59-दस-3/2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 22 03'23.8" से 22 04'00.5" उत्तर अक्षांश तथा 076 08'15.8" से 076 09'02.9" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा ( सामान्य ), वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी का हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी सूचना और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बेड़ियाखुर्द -IX	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द /बेड़ियाखुर्द -IX	ख.नं. 566 581 593 पी-656	बड़े झाड़ का जंगल	डी-880-3999- दस-3-2003 दि. 24-12-03 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	46.840 5.590 0.170	उत्तर —मुनारा क्रमांक 1 से 33, मुनारा क्र. 1 से 31 तक खसरा क्रमांक 573, 574, 575, 576, 567, 482, 483, 484, 486, 485, 492, 494, 564, 565, 562 एवं 561 की सीमा एवं मुनारा क्र. 31 से 33 तक रास्ता. पूर्व—मुनारा क्र. 33 से 43 तक खसरा क्रमांक 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 एवं 601 की सीमा. दक्षिण—मुनारा क्र. 43 से 70 तक खसरा क्र. 580, 582, 583, 584, 585, 586, 589 एवं 592 की सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 70 से 78 एवं 1 रास्ता.

योग . . . 52.600

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.



भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी.-334-59-दस-3-2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड 22 03'21.6" से 22 03'31.3" उत्तर अक्षांश तथा 076 07'09.9" से 076 07'44.9" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड़ खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा ( सामान्य ), वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी का नाम	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/संरक्षित वनखण्ड क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी सूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बेड़ियाखुर्द -VII	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द/ बेड़ियाखुर्द -VII	ख.नं. 86 88 पी-658	पहाड़ चट्टान	डी-880-3999-दस-3-2003 दि. 24-12-2003 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	4.080 1.520	उत्तर—मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक नहर की सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 2 से 4 तक, मुनारा क्र. 2 से 3 तक नाला की प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क्र. 3 से 4 रास्ता. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक वनमण्डल खरणोन के कक्ष क्र. 550 की सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 6 एवं 1 ग्राम देलगांव की सीमा.
योग							5.600	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

एफ-25-110-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-110-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-110-2017-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D/334-59/Tan/3/06 dated 3rd February 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-22 03'21.6" to N-22 03'31.3" North Latitude and E-076 07'09.9" to E-076 07'44.9" East Longitude.

## SCHEDULE

## District—Khandwa, Tahsil—Khandwa, Forest Division—Khandwa (G) Forest Range-Khandwa

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with Gazette publication date	Area (hectare)	Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	bediya khurd VII	P.H.N. O 3/Attar	bediya khurd/ bediya khurd VII	Khasra No. 88 P-658	Pahad Chattan	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	4.080 1.520	<b>North</b> —Munara No. 01 to 02 tk nahar ki sima. <b>East</b> —Munara No. 2 to 4 tk Munara No. 2 to 3 tk nale ki prakratik sima and munara No.3 to 4 rasta. <b>South</b> —Munara No. 4 to 6 tk vanmandal khargon ke khash No. 550 ki sima. <b>West</b> —Munara No. 6 and 1 village delgov ki sima.
Total							5.600	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी./334-59-दस-3/2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावें इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड 22 03'21.1" से 22 03'46.9" उत्तर अक्षांश तथा 076 08'04.2" से 076 08'32.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा ( सामान्य ), वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बेड़ियाखुर्द VIII	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द/ बेड़ियाखुर्द -VIII	ख.नं. 177 पी-657	बडे झाड़ का जंगल	डी-880-3999- दस-3-2003 दि. 24-12-2003 राजपत्र दिनांक 9-1-2004	30.790	उत्तर —मुनारा क्रमांक 14 से 18 तक खसरा क्र. 194 एवं 195 की सीमा. पूर्व —मुनारा क्र. 18 से 26 तक रास्ता. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 26 से 29, मुनारा क्र. 26 से 28 तक जिला खरगोन की सीमा एवं मुनारा क्र. 28 से 29 नहर की सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 29 एवं 1 से 14 तक मुनारा क्र. 14 एवं 1, नाला की प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क्र. 1 से 14 तक खसरा क्र. 178, 179, 180, 181, 182, 183, एवं 193 की सीमा.
योग . .							30.790	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-110-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-110-2017-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D/334-59/Tan/3/06 dated 3rd February 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND, WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-22 03'21.1" to N-22 03'46.09" North Latitude and E-076 08'04.2" to E-076 08'32.0" East Longitude.

SCHEDULE

District—Khandwa, Tahsil—Khandwa, Forest Division—Khandwa (G) Forest Range—Khandwa

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with Gazette publication date	Area (hectare)	Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	bediya khurd VIII	P.H.N. 03/Attar	bediya khurd/bediya khurd VIII	Khasra No. 177 P-657	Bade jhad ka jangle	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	30.790	<p><b>North</b>—Munara No. 14 to 18 tk khasra no. 194 and 195 ki sima.</p> <p><b>East</b>—Munara No. 18 to 26 tk rasta.</p> <p><b>South</b>—Munara No. 26 to 29 Munara No. 26 to 28 tk distrik khargon ki sima and Munara No. 28 to 29 tk nahar ki sima.</p> <p><b>West</b>—Munara No. 29 and 1 se 14 tk Munara No. 14 and 1 nala ki praktitik sima and Munara No. 1 to 14 tk khasara No. 178, 179, 180, 181, 182, 183 and 193 ki sima.</p>
Total ..							30.790	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी./334-59-दस-3/2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 22 03'23.8" से 22 04'00.5" उत्तर अक्षांश तथा 076 08'15.8" से 076 09'02.9" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा ( सामान्य ), वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी हल्का का नाम	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड का नाम	खसरा क्रमांक/संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी सूचना और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बेड़ियाखुर्द -IX	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द /बेड़ियाखुर्द -IX	ख.नं. 566 581 593 पी-656	बड़े झाड़ का जंगल	डी-880-3999-दस-3-2003 दि. 24-12-03 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	46.840 5.590 0.170	उत्तर—मुनारा क्रमांक 1 से 33, मुनारा क्र. 1 से 31 तक खसरा क्रमांक 573, 574, 575, 576, 567, 482, 483, 484, 486, 485, 492, 494, 564, 565, 562 एवं 561 की सीमा एवं मुनारा क्र. 31 से 33 तक रास्ता. पूर्व—मुनारा क्र. 33 से 43 तक खसरा क्रमांक 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 एवं 601 की सीमा. दक्षिण—मुनारा क्र. 43 से 70 तक खसरा क्र. 580, 582, 583, 584, 585, 586, 589 एवं 592 की सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 70 से 78 एवं 1 रास्ता.

योग . . . 52.600

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-110-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-110-2017-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D/334-59/Tan/3/06 dated 3rd February 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-22°03'23.8" to N-22°04'00.5" North Latitude and E-076°08'15.8" to E-076°09'02.9" East Longitude.

SCHEDULE

District—Khandwa, Tahsil-Khandwa, Forest Division—Khandwa (G) Forest Range-Khandwa

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication date	Area (hectare)	Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	bediya khurd IX	P.H.N. 03, Attar	bediya khurd/bediya khurd IX	Khasra No. 566 581 593 P-656	Bade jhad ka jangle	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	46.840 5.590 0.170	<p><b>North</b>—Munara No. 1 to 33 munara No. 1 to 31 khasara No. 573, 574, 575, 576, 577, 567, 482, 483, 484, 485, 486, 492, 494, 564, 565, 562 and 561 ki sima and munara No. 31 to 33 tk rasta.</p> <p><b>East</b>—Munara No. 33 to 43 tk khasara No. 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 and 601 ki sima.</p> <p><b>South</b>—Munara No. 43 to 70 tk khasara No. 580, 582, 583, 584, 585, 586, 589 and 592 ki sima.</p> <p><b>West</b>—Munara No. 70 to 78 and 1 rasta.</p>
Total . . .							52.600	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—चूँकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी./334-59-दस-3/2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 22°04'16.3" से 22°04'34.6" उत्तर अक्षांश तथा 076°08'03.0" से 076°08'55.6" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा ( सामान्य ), वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी सूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बेड़ियाखुर्द X	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द/ बेड़ियाखुर्द X	ख.नं. 468 पी- 656 से 658	पहाड़ चट्टान.	डी-880-3999-दस-3-2003 दि. 24-12-03 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	23.360	उत्तर —मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक खसरा क्रमांक 405, 406, 408, 409, 411 एवं 410 की सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 8 से 15, मुनारा क्रमांक 8 से 9 एवं 12 से 13 तक नाला की प्राकृतिक सीमा, मुनारा क्र. 9 से 12 एवं मुनाना क्रमांक 13 से 15 खसरा क्र. 467 एवं 466 की सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 15 से 18 तक रास्ता. पश्चिम—मुनारा क्र. 18 से 31 तक एवं 1, मुनारा क्र. 18 से 31 तक खसरा क्र. 270, 273, 272 एवं 271 की सीमा एवं मुनारा क्र. 31 एवं 1 रास्ता.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	बेड़ियाखुर्द XI	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द/ बेड़ियाखुर्द XI	ख.नं. 460 पी- 656 से 658	पहाड़ चट्टान.	डी-880-3999- दस-3-2003 दि. 24-12-03 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	21.970	उत्तर — मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक खसरा क्र. 425. 426 एवं 428 की सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 4 से 10, मुनारा क्र. 4 से 9 तक खसरा क्रमांक 459, 457, 461, 462 की सीमा एवं मुनारा क्र. 9 से 10 नाला की प्राकृतिक सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 10 से 15, मुनारा क्र. 10 से 13 तक रास्ता एवं मुनारा क्र. 13 से 15 तक खसरा क्रमांक 464 की सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 15 एवं 1 नाला की प्राकृतिक सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-110-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-110-2017-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D/334-59/Tan/3/06 dated 3rd February 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-22°04'16.3" to N-22°04'34.6" North Latitude and E-076°08'03.0" to E-076°08'55.6" East Longitude.



## SCHEDULE

## District—Khandwa, Tahsil-Khandwa, Forest Division—Khandwa (G) Forest Range-Khandwa

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication date	Area (hectare)	Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	bediya khurd X	P.H.N. 03/ Attar	bediya khurd/ bediya khurd X	Khasra No. 468 P. 656 to 658	Pahad Chattan	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	23.360	<p><b>North</b>—Munara No. 1 to 8 tak khasara No. 405. 406. 408. 409. 411, 410 ki sima.</p> <p><b>East</b>—Munara No. 8 to 15 munara No. 8 to 9 and munara No. 12 to 13 nale ki prakritik sima munara No. 9 to 12 tk and munara No. 13 to 15 khasara No. 467 and 466 ki sima.</p> <p><b>South</b>—Munara No. 15 se 18 tk rasta.</p> <p><b>West</b>—Munara No. 18 to 31 tk and 1 munara 18 to 31 tk khasara No. 270, 273, 272 and 271 ki sima and munara No. 31 and 1, rasta.</p>
2	bediya khurd XI	P.H.N. 03,	bediya khurd XI	Khasra No. 460 P. 656 to 658	Pahad Chattan	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	21.970	<p><b>North</b>—Munara No. 1 to 4 tk khasara No. 425, 426 and 428 ki sima.</p> <p><b>East</b>—Munara No. 4 to 10 munara No. 4 to 9 tk khasara No. 459, 457, 461, 462 ki sima and munara No. 9 to 10 tk nale ki prakritik sima.</p> <p><b>South</b>—Munara No. 10 to 15 munara No. 10 to 13 tk rasta and munara No. 13 to 15 tk khasara No. 464 ki sima.</p> <p><b>West</b>—Munara No. 15 and 1 Nale ki prakritik sima.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 10 फरवरी 2006 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-334-59-दस-3-2006, दिनांक 3 फरवरी 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र की इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड 22 04'24.1" से 22 04'41.0" उत्तर अक्षांश तथा 076 09'01.0" से 076 09'14.2" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

### अनुसूची

जिला—पूर्व निमाड़ खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनमण्डल—खण्डवा ( सामान्य ), वनपरिक्षेत्र—खण्डवा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड क्रमांक	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी सूचना और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बेड़ियाखुर्द XII	प.ह.न. 03/ अत्तर	बेड़ियाखुर्द/ बेड़ियाखुर्द -XII	ख.नं. 449 पी-654	पहाड़ चट्टान	डी-880-3999-दस-3-2003 दि. 24-12-2003 राजपत्र दिनांक 9-1-2004.	16.320	उत्तर —मुनारा क्रमांक 13 से 15 तक ग्राम धनगांव की सीमा. पूर्व —मुनारा क्र. 15 से 18, मुनारा क्र. 15 से 16 तक ग्राम धनगांव की सीमा एवं मुनारा क्र. 16 से 18 तक खसरा क्र. 611 की सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 18 से 21, तक रास्ता. पश्चिम—मुनारा क्र. 21 एवं 1 से 13, मुनारा क्र. 21 एवं 1, नाला की प्राकृतिक सीमा तथा मुनारा क्र. 1 से 13 तक खसरा क्र. 450, 451, 453, 454, 448 एवं 446 की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-110-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-110-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-110-2017-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D/334-59/Tan/3/06 dated 3rd February 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th February 2006 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-22°04'24.1" to N-22°04'41.0" North Latitude and E-76°09'01.0" to E-76°09'14.2" East Longitude.

SCHEDULE

District—Khandwa, Tahsil—Khandwa, Forest Division—Khandwa (G) Forest Range—Khandwa

No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compartment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication date	Area (hectare)	Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	bediya khurd XII	P.H.N. 03/Attar	bediya khurd/ XII	Khasra No. 449	Pahad Chattan	Notification No. D/880-3999/Tan/3/03 dated 24-12-2003. Gazette dated 09-01-2004.	16.320	<b>North</b> —Munara No. 13 to 15 tk village dhangov ki sima. <b>East</b> —Munara No. 15 to 18 Munara No. 15 to 16 tk village dhangov ki sima and munara 16 to 18 tk khasara No. 611 ki sima. <b>South</b> —Munara No. 18 to 21 tk rasta. <b>West</b> —Munara No. 21 & 1 and 1 to 13 munara No. 21 & 1 nale ki prakritik sima and Munara No. 1 to 13 tk khasra No. 450, 451, 453, 454, 448 and 446 ki sima.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.